अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0 / यु0पी0 संशोधन) / —— / 19: लखनऊः दिनांकः 27 / मार्च –2019,

–:: आदेश ::–

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक–468 / 19 दिनांक 11.03.2019 द्वारा दिनांक **08.04.2019 से 12.04.2019** के लिए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, नोएडा **पीठ–1 व 2 नोएडा** के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–प्रथम लखनऊ व सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–2, इलाहाबाद को सम्मिलित करते हुए खंड पीठ गठित की गयी थी।

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ प्रथम लखनऊ द्वारा पत्रांक–259 / 19 दिनांक 26.03.19 द्वारा अवगत कराया गया है कि लोकसभा के प्रथम चरण का मतदान जनपद नोएडा में दिनांक 11.04.2019 को होना है और मतदान में सभी कर्मचारियों की डयूटी लग चुकी है। कार्यालय में उक्त अवधि में कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं होगा। इस सम्बन्ध में सदस्य पीठ–2, इलाहाबाद से दूरभाष पर वार्ता भी की गयी है। अतः नोएडा की खंडपीठ, दिनांक **08.04.2019 से 12.04.2019** के स्थान पर दिनांक **15.04.19** से **20.04.19** तक गठित करने का निवेदन किया गया है।

अतः विद्यमान परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त गठित खंडपीठ में आंशिक संशोधन करते हुए नोएडा में दिनांक **08.04.2019 से 12.04.2019** के स्थान पर दिनांक **15.04.19** से **20.04.19** तक खंडपीठ गठित की जाती है।

खंड पीठ की शेष स्थिति यथावत् रहेगी। सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

ह0–27.03.19

(प्रेम कला सिंह)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन–वा0क0अधि0 / यु0पी0 संशो0 / 540 / 2019, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–प्रथम लखनऊ ।
2–सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–1 व 2 नोएडा
3–सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–2, इलाहाबाद।
4–कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5–मुन्सरिम / वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता / विवरण / कम्पयूटर) मुख्यालय।
6–सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष / सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदया की आज्ञा से,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।